उत्तर प्रदेश शासन,
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग,
संख्याः-17/2021/899/86-2021-352/2015
लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2021

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त खान अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः-849/86-2021-352/2015 दिनांक 22.06.2021 एवं सपठित कार्यालय ज्ञाप/स्पष्टीकरण संख्याः-856/86-2021-352/2015 दिनांक 23.06.2021 द्वारा अवधारित करते हुये एक सप्ताह के अन्दर उसके सम्बन्ध में आपत्तियां आमंत्रित की गई।

2. उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध खान अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण संक्षेप में निम्नवत् हैः-

(1) श्री दिनेश कुमार, खान अधिकारी, आगरा द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22.06.2021 द्वारा मात्र वर्ष 2016-17 व उसके पश्चात् प्रोन्नत अधिकारियों को ही सम्मिलित किया गया है जिसके कारण वर्ष 2017 से पूर्व प्रोन्नत कनिष्ठ खान निरीक्षक स्वतः वर्ष 2017 में प्रोन्नत खान अधिकारियों से ज्येष्ठ बने रहेंगे जो कि उपरोक्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-6 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतएव नियम-6 के अनुसार विभाग में कार्यरत सभी खान अधिकारियों की ज्येष्ठता एक साथ निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश कुमार का कहना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.06.2021 द्वारा पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2016 की ज्येष्ठता सूची को संलग्न करते हुए वर्तमान अनंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22.06.2021 को संयुक्त किया गया जिसका परिणाम यह होगा कि वर्ष 2016 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची व वर्ष 2021 की ज्येष्ठता सूची पृथक-पृथक होते हुए दो खंड काल में बंट जाएगी एवं पूर्व में प्रोन्नत कनिष्ठ खान निरीक्षकों को प्रोन्नति की तिथि से ज्येष्ठता प्राप्त हो जाएगी तथा वरिष्ठ खान अधिकारी के पद पर पुनः पोषक संवर्ग के ज्येष्ठ कर्मियों को अतिक्रमित करते हुये पदोन्नति प्राप्त कर लेंगे, जोकि उपरोक्त नियम-6 का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2004 में सीधी भर्ती के माध्यम से खान निरीक्षक के पद पर चयनित होते हुए नियमानुसार नियुक्ति प्राप्त करके दिनांक 10.11.2004 को कार्य भार ग्रहण किया। उसकी नियुक्ति से लगभग 6 वर्ष पश्चात् वर्ष 2010 में सीधी भर्ती के चयन में सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन की नियुक्ति खान निरीक्षक के पद पर की गयी जिसके अनुसरण में उक्त ने क्रमशः दिनांक 20.03.2010 व 18.02.2010 को विभाग में कार्यभार ग्रहण किया। खान निरीक्षक का पद उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली, 1982 के अंतर्गत आता है तथा उक्त सेवा नियमावली के नियम-23 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि नियमावली के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.06.2012 द्वारा जारी खान निरीक्षकों की औपबंधिक ज्येष्ठता सूची में उन्हें क्रम संख्या-12 पर व उपरोक्त सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन को क्रमशः 14 एवं 15 पर स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विभाग में खान अधिकारी के पदोन्नति कोटे के अंतर्गत वर्ष 2014 में दो रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन कार्यवाही की गयी, जिसमें उनसे कनिष्ठ सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन को आदेश दिनांक 21.07.2014 द्वारा वरिष्ठता को अतिक्रमित करते हुए पदोन्नति प्रदान कर दी गयी तथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया गया जो कि उपरोक्त सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि उक्त सेवा नियमावली, के नियम-17 में प्राविधानित है कि खान अधिकारी के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदोन्नति द्वारा चयन (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 21.07.2014 के पश्चात् वर्ष 2017 में खान अधिकारी के पदोन्नति कोटे के अंतर्गत पदोन्नति हेतु चयन कार्यवाही की गयी, जिसमें वरिष्ठता क्रम में सेवा नियमावली, 1983 के नियम-17 के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश/पत्र दिनांक 23.11.2017 द्वारा उनकी पदोन्नति खान अधिकारी के पद पर की गयी, जिसके अनुसरण में उन्होंने दिनांक 04.12.2017 को खान अधिकारी के पद पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत किया। उपरोक्त सेवा नियमावली, 1983 के नियम-23 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि नियमावली के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता सेवा नियमावली, 1991 के अनुसार की जायेगी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के नियम-6 में प्राविधानित है कि जहां पर सेवा नियमावली के अंतर्गत किसी पद पर पदोन्नति एक ही पोषक संवर्ग से की जाती है वहां पर वरिष्ठता क्रम पोषक संवर्ग के अनुसार ही रहेगी।

उनका यह भी कहना है कि समान परिस्थितियों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में Mohan Karan vs State Of U.P. &And reported 1998 (20 LBESR 9(SC) के प्रकरण में प्रस्तर 15 अन्तर्गत स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि पदोन्नत पद पर वरिष्ठता का निर्धारण पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के अनुसार ही होगा, भले ही कोई कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ को अतिक्रमित करके पहले प्रोन्नत हो गया हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार से निर्विवादित रूप से खान अधिकारी के पद पर उनकी ज्येष्ठता पोषक संवर्ग के अनुसार उपरोक्त कनिष्ठ अधिकारियों सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन के ऊपर होगी। किन्तु उपरोक्त संदर्भित अनंतिम वरिष्ठता सूची में ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-6 को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए उनको उपरोक्त कनिष्ठों सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन से बहुत नीचे कर दिया गया है। अतः नियम-6 के अनुसार खान निरीक्षक पोषक संवर्ग पद की वरिष्ठता के अनुसार स्वयं को उपरोक्त सर्व श्री शैलेन्द्र मौर्य एवं अभय रंजन के ऊपर स्थापित करते हुए कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.06.2021 को संशोधित करने का प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है।

(2) श्री अर्जुन कुमार, खान अधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जारी ज्येष्ठता सूची के क्रम संख्या-17 पर टंकण त्रुटिवश खान निरीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 25.12.2021 अंकित हो गयी है। उनकी खान निरीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 13.12.2011 है। अतः उनके द्वारा अपनी खान अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 13.12.2011 अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

(3) श्री सौरभ गुप्ता, खान अधिकारी, रामपुर द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 25.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी पदोन्नति उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.11.2017 द्वारा की गयी है, जिसमें उनका चयन वर्ष 2016-17 इंगित है।

उ0प्र0 सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसारः- जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिये विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

उक्त नियम के अनुसार चयन वर्ष 2016-17 में नियुक्त सीधी भर्ती के अधिकारियों के समान उनका चयन वर्ष भी 2016-17 है। यदि उक्त नियम का अक्षरशः पालन किया जाए तो ज्येष्ठता सूची में क्रमांक संख्या 01 पर श्री दिनेश कुमार चयन वर्ष 2015-16, क्रमांक संख्या 02 पर श्री सुभाष सिंह चयन वर्ष 2016-17 तथा क्रमांक संख्या 03 पर श्री अजय कुमार यादव चयन वर्ष 2016-17 के पश्चात् उनकी ज्येष्ठता अवधारित की जानी चाहिए।

(4) श्री कमल कश्यप, खान अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 28.06.2021 के माध्यम से अपनी मौलिक नियुक्ति की तिथि 03.10.2016 के स्थान पर 26.07.2016 अंकित करने का अनुरोध किया गया।

(5) श्री सुभाष सिंह, खान अधिकारी, बांदा द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी पदोन्नति चयन वर्ष 2016-17 की रिक्ति के सापेक्ष कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.11.2017 द्वारा की गयी है।

उनके द्वारा दिनांक 09.12.2011 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था और उनकी जन्मतिथि दिनांक 02.10.1985 के बजाय 20.07.1982 है। अतः चयनवर्ष के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान करने सहित जन्म तिथि उक्तानुसार संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

3. खान अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 22.06.2021, सपठित स्पष्टीकरण दिनांक 23.06.2021 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर टिप्पणी क्रमशः निम्नवत् हैः-

(1) श्री दिनेश कुमार, खान अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2021 के माध्यम से किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खान अधिकारी के नवसृजित 11 पदों के सापेक्ष चयन वर्ष 2014-15 में 'डिग्री धारक होने के कारण उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म सेवक (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम 5(दो)(ख) के अन्तर्गत पोषक संवर्ग में वरिष्ठ खान निरीक्षकों की वरिष्ठता को अतिक्रमित कर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.07.2014 द्वारा खान अधिकारी के पद पर श्री शैलेन्द्र कुमार एवं श्री अभय रंजन को पदोन्नति प्रदान की गई थी। उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अन्तर्गत मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की गई है। उक्त स्थिति में ज्येष्ठता नियमावली का नियम-6 खान अधिकारियों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि खान अधिकारी के पद पर भर्ती पदोन्नति और सीधी भर्ती दो स्रोतों से की जाती है। उपरोक्त के दृष्टिगत श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(2) श्री अर्जुन कुमार, खान अधिकारी, गोरखपुर के अनुरोध को अभिलेखीय आधार पर स्वीकार करते हुये खान निरीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 25.12.2011 के स्थान पर दिनांक 13.12.2011 अंकित कर दिया गया है।

(3) श्री सौरभ गुप्ता द्वारा किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया गया है। अतः रिक्ति के वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारण सम्बन्धी उनका प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(4) श्री कमल कश्यप, खान अधिकारी, बरेली के अनुरोध को स्वीकार करते हुये खान अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि 03.10.2016 के स्थान पर दिनांक 26.07.2016 अंकित कर दिया गया है।

(5) श्री सौरभ गुप्ता के अनुसार श्री सुभाष सिंह को भी रिक्ति वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान करने का औचित्य नहीं पाया गया। उनके द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित खान निरीक्षक के पद पर मौलिक

http://shasanadesh.up.nic.in

नियुक्ति की तिथि 04.01.2012 तथा जन्मतिथि दिनांक 02.10.1985 को संशोधित करते हुये मौलिक नियुक्ति की तिथि 09.12.2011 तथा जन्म तिथि 20.07.1982 अंकित कर दिया गया है।

4. अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा नियुक्त खान अधिकारियों की सूची में क्रम सं0-02 पर अंकित श्री राजेश कुमार सिंह का निधन (दिनांक 02.05.2021 को) हो गया है तथा क्रम सं0-11 पर अंकित सुश्री नम्रता पाण्डेय को अन्य विभाग में चयन होने के कारण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 20.11.2020 द्वारा खान अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किया गया है। अतः अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की चयन सूची में उनकी श्रेष्ठता क्रम में, यथा स्थान अंकित किया गया है।

5. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के प्राविधानों के अनुसार कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.03.2016 द्वारा खान अधिकारियों की निर्गत अन्तिम एवं निर्विवादित ज्येष्ठता सूची के अन्तिम क्रम सं0-19 पर अंकित खान अधिकारी, श्री अभय रंजन के उपरान्त, प्राप्त आपत्तियों को उक्तानुसार निस्तारित करते हुये, अग्रतर क्रम सं0-20 से 39 पर अंकित खान अधिकारियों की, अन्तिम ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निम्नवत् अवधारित की जाती हैः-

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	खान अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	खान अधिकारी के पद पर भर्ती का स्रोत	खान निरीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	खान अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	20	श्री अजय कुमार यादव	21.12.1990	सीधी भर्ती	--	03.10.2016	
2.	21	श्री कमल कश्यप	06.08.1988	सीधी भर्ती	--	26.07.2016	
3.	22	श्री शैलेन्द्र सिंह	04.07.1975	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
4.	23	श्री राजेश कुमार सिंह	07.06.1974	सीधी भर्ती	--	22.12.2016	दिनांक 02.05.2021 को निधन
5.	24	श्री अनन्त कुमार सिंह	01.09.1992	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
6.	25	श्री मिथलेश कुमार पाण्डेय	25.05.1981	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
7.	26	श्री भूपेन्द्र यादव	30.06.1993	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
8.	27	श्री सुरेन्द्र सिंह	24.08.1978	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
9.	28	श्री राम पदारथ सिंह	05.01.1979	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
10.	29	श्री रंजित निर्मल	13.12.1979	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
11.	30	श्री सुभाष रंजन	30.03.1987	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
12.	31	श्रीमती शिवी सिंह	26.01.1993	सीधी भर्ती	--	21.12.2016	
13.	32	सुश्री नम्रता पाण्डेय	15.11.1986	सीधी भर्ती	--	05.09.2017	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0-1757/ ई0पी0एफ0 दिनांक 20.11.2020

http://shasanadesh.up.nic.in

							द्वारा खान अधिकारी के पद से कार्यमुक्त।
14.	33	श्री दिनेश कुमार	01.07.1975	प्रोन्नति	09.11.2004	23.11.2017	
15.	34	श्री सुभाष सिंह	20.07.1982	प्रोन्नति	09.12.2011	23.11.2017	
16.	35	श्री सौरभ गुप्ता	02.10.1985	प्रोन्नति	14.12.2011	23.11.2017	
17.	36	श्री सन्नी कौशल	23.09.1987	प्रोन्नति	14.12.2011	08.01.2019	
18.	37	श्री रणवीर कुमार सिंह	24.01.1984	प्रोन्नति	29.11.2011	08.01.2019	
19.	38	श्री अर्जुन कुमार	03.02.1987	प्रोन्नति	13.12.2011	05.03.2021	
20.	39	श्री राज रंजन कुमार	03.05.1987	प्रोन्नति	11.12.2011	05.03.2021	

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः (1)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सम्बन्धित अधिकारी (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ)।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in